राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(मिनिरत्न कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,
E-mail – csf.suratgarh@indiaseeds.com
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi –12

क्र: सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-10/फोडर/2025- **दिनाँक: 16.04.2025**

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में रबी 2024-25 में बोई गई गेहूँ (96.00 एकड़), जौ (28.00 एकड़) व जई (1327.00 एकड़) की फसलों की कटाई के बाद तूड़ी (भूसा) बनाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबंद ऑफलाईन निविदायें दिनाँक 23.04.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन (दिनाँक 23.04.2025) 03:00 बजे खोली जायेगी | इच्छुक योग्य व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं | निविदायें देने से पहले **NEFT/RTGS** व अन्य ऑनलाईन माध्यम से रु. 236/- निविदा फॉर्म शुल्क व रु. 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के अनुसार एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी | निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम-शर्ते निगम की वेबसाईट **www.indiaseeds.com** पर देखी जा सकती है | सफल निविदादाता को छोड़ी गई फसल कटाई की 100 प्रतिशत राशि स्वीकृति आदेश प्राप्ति के पाँच कार्य दिवस के भीतर जमा करवानी होगी |

प्रबंधक (उत्पादन)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

फार्म क्षेत्र में तूड़ी (फोडर) बनाने के लिये नियम व शर्तें

1. निविदा में भाग लेने के लिये रु. 236/- निविदा शुल्क व रु. 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के लिये धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे | यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा चक के लिये दरें भरना चाहता है तो एक ही बार में सम्पूर्ण धरोहर राशि (रु. 10,000 X जितने चकों की दरें निविदा में भरनी है) NEFT/RTGS/अन्य ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी, तभी निविदा प्रपत्र मान्य होंगे |
2. असफल निविदादाताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उन्हें बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी व सफल निविदादाताओं की सुरक्षा राशि (रु. 10,000/- प्रत्येक चक) कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी | सफल निविदादाताओं की जमा धरोहर राशि को सुरक्षा राशि के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा |
3. निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक की प्रति जिस पर IFSC कोड अंकित हो, निविदा के साथ देनी होगी |
4. गेहूँ, जौ व जई की तूड़ी बनाने का कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को स्वीकृत क्षेत्र की सम्पूर्ण राशि जमा करवानी होगी तथा रु. 500/- का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके कृषि कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इनके अनुसार ही कार्य करेगा |
5. निविदा राशि, धरोहर राशि व सफल निविदादाता द्वारा तूड़ी हेतु लिये गये क्षेत्र के एवज में राशि का भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाईन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा | फार्म खाते का विवरण निम्न प्रकार है :-
   Account No : 34056542572
   IFSC Code : SBIN0007774
   Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
   Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**
6. निविदा में स्वीकार किये गये क्षेत्र की सम्पूर्ण राशि स्वीकृति आदेश जारी होने के पाँच कार्य दिवस में जमा करवानी होगी | यदि कोई ठेकेदार सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाता है या कार्य शुरू करने से पहले/बीच में छोड़ देता है, तो उसकी जमा धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी |
7. निविदादाता द्वारा दी गई दर/दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख का होगा |

8. थ्रैशर, मजदूर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि सभी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी |
9. कार्य चक प्रभारी व खंड प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा | फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकता अनुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है |
10. तूड़ी बनाने के समय गेहूँ, जौ व जई का जो दाना (अनाज) निकलेगा, वह फार्म में जमा करवाना होगा |
11. तूड़ी बनाने का कार्य सिल्ला चुगाई करने के बाद ही शुरू करना होगा तथा चक प्रभारी/खंड प्रभारी के बताने पर ही कार्य शुरू करना होगा |
12. तूड़ी बनाने व ले जाने का कार्य सुबह 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक करना होगा | यदि किसी कारणवश कार्य देरी तक करना आवश्यक है तब ठेकेदार को संबंधित चक प्रभारी/खंड प्रभारी/हेड गार्ड को सूचित करना होगा |
13. तूड़ी बनाने का समय कटाई के 15 दिन बाद तक का होगा | विशेष परिस्थितियों में तूड़ी बनाने का समय फार्म प्रमुख की अनुमति से 07 दिन और बढ़ाया जा सकता है | उसके उपरांत भी यदि ठेकेदार तूड़ी बनाने का कार्य पूरा नहीं कर पाता है तब फार्म के पास अधिकार होगा की वह उस क्षेत्र की तूड़ी का निस्तारण अपने स्तर पर करके खरीफ फसलों की बिजाई हेतु फील्ड तैयार कर सके एवं इसमें जो तूड़ी का नुकसान होगा उसके उसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा |
14. कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिये फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा |
15. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह निर्धारित समयावधि (नियम-शर्त संख्या 13 के अनुसार) के उपरांत दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को उसके द्वारा जमा की गई राशि का वापिस (refund) के तौर पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में सुरक्षा राशि भी जब्त कर ली जायेगी |
16. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा | फार्म, लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा |
17. ठेकेदार द्वारा तूड़ी हेतु लिये गये क्षेत्र में तूड़ी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी तूड़ी लेने वाले ठेकेदार की होगी | यदि प्राकृतिक आपदा/बारिश से तूड़ी में नुकसान हुआ तो फार्म जिम्मेदार नहीं होगा |
18. तूड़ी बनाते समय या ले जाते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी |
19. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा |
20. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी |

21. यदि ठेकेदार द्वारा निविदा के नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म उत्पादन/पेड़ या अन्य फार्म संपदा को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तो ठेकेदार की सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती गंभीरता/किये गये नुकसान के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है |
22. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे | यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किये गये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा | इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिये एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा | कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे | मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी | न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा |

दिनाँक : 23.04.2025

निविदा प्रपत्र

फार्म निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज०)

रबी 2024-25 में बोये गये फार्म क्षेत्र में गेहूँ, जौ व जई की कटाई के बाद तूड़ी (फोडर) बनाने के लिये निविदा दिनाँक 23.04.2025

खंड संख्या	चक संख्या	एरिया (एकड़ में)			दर प्रति एकड़ (रुपयों में) जो फार्म में जमा करवानी है		
		गेहूँ	जौ	जई	गेहूँ	जौ	जई
1	38 STG	12.00	27.00	134.00			
	40 STG	60.00	0.00	64.00			
	42 STG	0.00	0.00	246.00			
	44 STG	0.00	0.00	143.00			
	BRP-1	24.00	0.00	56.00			
2	33 PBN	0.00	0.00	217.00			
	RPM-2	0.00	0.00	30.00			
	RPM-3	0.00	1.00	334.50			
	RPM-4	0.00	0.00	0.00			
3	34 PBN	0.00	0.00	102.50			

हस्ताक्षर ....

नाम व पता ....

....

मोबाईल नं : ....